उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 संख्या 3066 / 11–5–2009–500 (100)–2008 लखनऊ, दिनांक 12 जून, 2009 अधिसूचना आदेश

प0आ0-389

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के समबन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके सरकारी अधिसूचनाओं संख्या-क0नि0 5-2757 / 11-2008-500 (35) / 2000 दिनांक 09 जुलाई, 2008 व संख्या-क0नि0 5-3084 / 11 -2008-500 (35)/2000 दिनांक 09 जुलाई, 2008 का अधिक्रमण करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से दह माह की अवधि के लिये समस्त सरकारी विभागों एवं उनके अधीन कार्यरत संगठनों चाहे सरकारी हो या अर्धसरकारी यथा उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनिमय संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन 1976) के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (अधिनियम संख्या

25 सन् 1964) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद और सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रिजस्ट्रीकृत सूडा एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) के अधीन गठित जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) के अधीन गठित स्थानीय निकाय से सम्बन्धित एवं औद्योगिक आस्थानों की स्थावर सम्पत्ति को किसी आवंटिती के पक्ष में प्रथम बार अन्तरण करने के लिये उनके द्वारा निष्पादित हस्तान्तरण पत्र / पट्टा के लिखत पर 1899 के उक्त अधिनियम की अनुसूचनी 1—ख के अनुच्छेद—23 के खण्ड (क) व अनुच्छेद 35 के खण्ड (क) उपखण्ड (vi) खण्ड (ii) और खण्ड (ग) के उपखण्ड (iii) के अधीन प्रभार्य शुल्क पट्टा में दिये गये रकम के बराबर के प्रतिफल की धनराशि से अधिक की धनराशि पर प्रभार्य शुल्क की सीमा तक छूट प्रदान करते हैं:

परन्तु यह कि ऐसी सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाएं जिन्होंने आवंटन के छः माह के अन्दर आवंटियों के पक्ष में विक्रय/पट्टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया है, उक्त अविध के अन्दर विक्रय/पट्टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया है, उक्त अविध के अन्दर विक्रय/पट्टा का अनुबन्ध निष्पादित करेंगी क्योंकि केवल ऐसे निष्पादित अनुबन्ध के लिये अनुबन्ध में भुगतान की गयी स्टाम्प शुल्क का समायोजन अनुबन्ध के निष्पादन पर अन्तरण/पट्टा पर देय कुल स्टाम्प शुल्क में किया जायेगा। यदि संस्थाओं द्वारा आवंटित स्थावर सम्पत्ति में हस्तान्तरण पत्र/पट्टा निष्पादित करते समय कोई संशोधन अथवा परिवर्तन किया जाता है तो स्टाम्प शुल्क का समायोजन किया जायेगा।

ऐसी विशेष परिस्थितियों में जो आवंटी के नियंत्रण से बाहर हों तो इस अवधि को कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा एक वर्ष के लिये बढाया जा सकेगा।

ऐसे पुराने आवंटिती जिनके पक्ष में अन्तरण/पट्टा/विक्रय अनुबन्ध निष्पादित नहीं किय गया है, इस अधिसूचना के अधीन छूट का लाभ उठा सकते है, यदि अन्तरण/पट्टा/विक्रय अनुबन्ध/पट्टा अनुबन्ध उक्त छः माह की अवधि के भीतर उनके पक्ष में निष्पादित करा लिया जाय। अन्यथा वे

आवंटित सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के दायी होंगे।

> आज्ञा से, देश दीपक वर्मा, प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 3066/XI-2009-500(100)-2008, dated June 12, 2009 for general information:

No. 3066/XI-2009-500(100)-2008

Lucknow, Dated June 12, 2009

Notification

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government notification no. K.N. 52757/XI-2008-500(35)/2000 dated July 9, 2008 and no. K.N. 5-3084/XI-2008-500(35)/2000 dated July 9, 2008, the Governor is pleased to remit for a period of six months with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the duty chargeable under clause (a) of Article 3 (Conveyance) and under subclause (vi) of clause (a), sub clause (ii) of clause (b) and clause (c) of Article 35 (Lease) of Schedule I-B of the said Act of 1899 on the instrument of Conveyance/Lease of immovable property belonging to all the Government Department and the organizations working under them. Whether Government or Semi-Government such as development authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted with modification by the Uttar Pradesh President's Act (Re-enactment with Modification) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974), an Industrial

Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976), the Uttar Pradesh Awas Evam Vikash Parishad established under the Uttar Pradesh Awas Evam Vikash Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act no. 1 of 1966), the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation registered under the Companies Act, 1956 (Act no. 1 of 1956), the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Parishad constituted under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964), SUDA, registered under the Societies Registration Act, 1960 (Act no. 21 of 1860), and a Zila Panchayat constituted under the Uttar Pradesh Kshetriya Panchayats and Zila Panchayats Act, 1961 (U.P. Act no. 2 of 1959) or under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and the Industrial Estate administered by the Directorate of Industries and under the control of the Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh executed by themselves to transfer an immovable property for the first time in favour of an allottee to the extent of the amount of duty chargeable on the consideration as set forth in such instrument of Conveyance/Lease;

Provided that any Government/Semi-Government Institution who have not registered the Sale/Lease deed in favour of the allottee within six months from the date of allotment shall execute agreement of Sale/Lease within the said period because only the Conveyance/Lease in respect of such executed agreement the duty paid in the agreement shall be adjusted towards total duty payable on the Conveyance/Lease on the execution of the agreement. In case at the time of execution of Conveyance/Lease the Institutions make any amendment or charge in the allotted immovable property, the adjustment in stamp duty shall be allowed.

In special circumstances, which are beyond the control of an allottee, the period may be extended by the Tax and Registration Department to one year.

Such old allottees in whose favour Conveyance/Lease/Agreement to Sale/Agreement to Lease has not been executed may avail the exemption under this notification if a Conveyance/ Lease/ Agreement to Sale/Agreement to Lease is executed in favour thereof within the said period of six months. Otherwise they shall be liable to pay stamp duty on the market value of the allotted property.

By Order,

DESH DEEPAK VERMA,

Pramukh Sachiv.